न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बड़गोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–69 / 2024
वाद प्रविष्टि दिनांक–29.05.2024
निर्णय दिनांक–04.12.2025

गोपाल पुत्र लक्ष्मणा जाट जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र पन्नालाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. रामधन पुत्र पन्नालाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. सुजा पत्नि पन्नालाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. सोदरा पुत्री पन्नालाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. हंसा पुत्री पन्नालाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. सूरजनारायण पुत्र रामनारायण जाट जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. सीताराम पुत्र रामनारायण जाट जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. मोरी पत्नि गोविन्दा जाट जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. तहसीलदार पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी–श्री छीतरलाल प्रजापत एड0
श्री विवेक चौधरी एड0
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 08–अनुपस्थित

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 189 रकबा 3.1360 हैक्ट. वाके ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसक

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकारान् ने अपने हिस्सानुसार पूर्व में ही मिल बैठकर विभाजन कर लिया था। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात अविभाजित है। उक्त आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/3 है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। किन्तु प्रतिवादीगण एकराय एकजुट होकर वादी को निरन्तर, परेशान कर रहे है और अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होने के लिए मेर कोर को लेकर विवाद करते है। जिसकी वजह से पक्षकारान् में अपनी अविभाजित आराजीयात को लेकर विवाद की स्थिती उत्पन्न होती जा रही है। पक्षकारान् के बीच अभी तक विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। लेकिन प्रतिवादीगण, वादी को हेरान, परेशान करने लिए बिना विधिवत् तकास्मा कराये ही अपने मनचाहे स्थान पर पक्का निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहे है। जबकि उनके द्वारा भूमि को अकृषि कार्य के उपयोग उपभोग में लेने हेतु किसी प्रकार की कोई अनुमति प्राप्त नही की है। प्रतिवादीगण द्वारा निरन्तर मेर कोर को लेकर एवं अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य किये जाने को लेकर वादी से विवाद किया जा रहा है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया है की वह अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत् रूप से विभाजन कराकर अपने नाम की पृथक जमाबंदी एवं नक्शा शीट में तरमीम करवा लेवे। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा पारित की जाकर वादपत्र में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 189 रकबा 3.1360 हैक्ट. वाके ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा में वादी का दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा 1/3 का विधिवत् विभाजन किया जाकर वादी के नाम की पृथक जमाबंदी तैयार की जावे तथा विभाजन अनुसार नक्शा शीट तैयार की जावे एवं डिक्री बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की वे स्वंय, जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के माध्यम से वादपत्र में वर्णित आराजीयात पर बिना विधिवत् तकास्मा के किसी तरह का कोई पक्का निर्माण कार्य नही करे एवं अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होने का प्रयास नही करे तथा वादी के हिस्से का उपयोग उपभोग करने में किसी तरह की बाधा एवं मजामहत व मदाखलत नहीं करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी0 किये जाने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही में अमल में लायी जा चुकी है।

अधिवक्ता वादीगण ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 189 रकबा 3.1360 हैक्ट. वाके ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसका पक्षकारान् ने अपने हिस्सानुसार पूर्व में ही मिल बैठकर विभाजन कर लिया था। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। इस कारण उक्त वर्णित

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

आराजीयात अविभाजित है। उक्त आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/3 है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। किन्तु प्रतिवादीगण एकराय एकजुट होंकर वादी को निरन्तर, परेशान कर रहे है और अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होने के लिए मेर कोर को लेकर विवाद करते है। प्रतिवादीगण, वादी को हेरान, परेशान करने लिए बिना विधिवत् तकास्मा कराये ही अपनें मनचाहे स्थान पर पक्का निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा निरन्तर मेर कोर को लेकर एवं अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य किये जाने को लेकर वादी से विवाद किया जा रहा है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया है की वह अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत् रूप से विभाजन कराकर अपने नाम की पृथक जमाबंदी एवं नक्शा शीट में तरमीम करवा लेवे। साथ ही कथन किया की उक्त वर्णित आराजीयात से डामरीकरण सडक जो की पीपलू से झिराना–नाथडी रोड पर लिंक हो रही है, पर स्थित है। अतः वादी का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार रास्ते/सड़क को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे।

बहस अधिवक्ता वादी एकतरफा सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। वादपत्र में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 189 रकबा 3.1360 हैक्ट. वाके ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाज्य कृषि आराजी है। अधिवक्ता वादी ने उक्त वर्णित भूमि आराजी ख0न0 189 रकबा 3.1360 हैक्ट. वाके ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा वादी व प्रतिवादीगण के बीच वाद वादीगण मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार रास्ते/सड़क को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर उभयपक्ष अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन के हकदार है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार रास्ते/डामरीकरण सड़क को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया था, उक्तानुसार तहसीलदार पीपलू को उभयपक्ष पक्षकारान् की उपस्थिति में नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में मय तकास्मा रिपोर्ट तैयार की जाकर आगामी दिनांक 02.08.2024 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु लिखा गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 3437 दिनांक 16.09.2025 द्वारा न्यायालय हाजा में तकासमा रिपोर्ट/प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अधिवक्ता वादी ने तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवं मुताबिक तकासमा रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अन्तिम डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। बहस अधिवक्ता सुनी गई तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तकासमा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट/प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तकासमा रिपोर्ट से स्पष्ट है की तहसीलदार पीपलू द्वारा राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानो की पालना करते हुए पक्षकारान् की उपस्थिती में प्रस्ताव तैयार किया गया है। तकासमा रिपोर्ट पर भी वादी, प्रतिवादीगण व गवाहन के हस्ताक्षर अंकित है। तहसीलदार से प्राप्त तकासमा रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार सभी खातेदारान् सहमत हुए है। जिनके तकासमा रिपोर्ट/प्रस्ताव में हस्ताक्षर/अगुंठा निशानी अंकित है। अतः मुताबिक तकासमा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा में स्थित भूमि आराजी ख0न0 189/2 रकबा 0.9315 हैक्ट. व ख0न0 189/3 रकबा 0.1138 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 1.0453 हैक्ट. वादी गोपाल पुत्र लक्ष्मणा जाति जाट सा.देह खातेदार हिस्सा पूर्ण राहिन बी.ओ.बी. झिराना के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रहेगा। ख0न0 189/1 रकबा 0.5277 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 08 मोरी देवी पत्नि गोविन्दा हिस्सा पूर्ण जाति जाट राहिन बी.ओ.बी. पीपलू सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। ख0न0 189/4 रकबा 1.5680 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 रामकिशोर पुत्र पन्नालाल हि. 1/6 जाति जाट राहिन बी.ओ.बी. पीपलू सा.देह खातेदार, रामधन पुत्र पन्नालाल हि. 1/6 जाति जाट राहिन बी.ओ.बी. पीपलू सा.देह खातेदार, सूजा पत्नि पन्नालाल हि. 1/6 जाति जाट राहिन बी.ओ.बी. पीपलू सा.देह खातेदार, सोदरा पुत्री पन्नालाल हि. 1/6 जाति जाट राहिन बी.ओ.बी. पीपलू सा.देह खातेदार, हंसा पुत्री पन्नालाल हि. 1/6 जाति जाट राहिन बी.ओ.बी. पीपलू सा.देह खातेदार, सुरजनारायण पुत्र रामनारायण हि. 1/12 जाति जाट राहिन बी.आर.के.जी.बी. पीपलू सा.देह खातेदार, सीताराम पुत्र रामनारायण हि. 1/12 जाति जाट राहिन बी.आर.के.जी.बी. पीपलू सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 संख्या 08 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गणराज बड़गोती आर.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

ब अलजास गणराज बडगोती आर0ए0एस0

गोपाल पुत्र लक्ष्मणा जाट जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा, तहसील पीपलू, जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

रामकिशोर पुत्र पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

(कुल कस 09) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 69/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू, मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री विवेक चौधरी एड0, श्री छीतरलाल प्रजापत एड0 मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 अनुपस्थित मनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाकर व डिक्री दी जाती है की ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा में स्थित भूमि आराजी ख0न0 189/2 रकबा 0.9315 हैक्ट. व ख0न0 189/3 रकबा 0.1138 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 1.0453 हैक्ट. वादी गोपाल पुत्र लक्ष्मणा जाति जाट सा.देह खातेदार हिस्सा पूर्ण राहिन बी.ओ.बी. झिराना के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रहेगा। ख0न0 189/1 रकबा 0.5277 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 08 मोरी देवी पत्नि गोविन्दा हिस्सा पूर्ण जाति जाट राहिन बी.ओ.बी. पीपलू सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। ख0न0 189/4 रकबा 1.5680 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 रामकिशोर पुत्र पन्नालाल हि. 1/6 जाति जाट राहिन बी.ओ.बी. पीपलू सा.देह खातेदार, रामधन पुत्र पन्नालाल हि. 1/6 जाति जाट राहिन बी.ओ.बी. पीपलू सा.देह खातेदार, सूजा पत्नि पन्नालाल हि. 1/6 जाति जाट राहिन बी.ओ.बी. पीपलू सा.देह खातेदार, सोदरा पुत्री पन्नालाल हि. 1/6 जाति जाट राहिन बी.ओ.बी. पीपलू सा.देह खातेदार, हंसा पुत्री पन्नालाल हि. 1/6 जाति जाट राहिन बी.ओ.बी. पीपलू सा.देह खातेदार, सुरजनारायण पुत्र रामनारायण हि. 1/12 जाति जाट राहिन बी.आर.के.जी.बी. पीपलू सा.देह खातेदार, सीताराम पुत्र रामनारायण हि. 1/12 जाति जाट राहिन बी.आर.के.जी.बी. पीपलू सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 संख्या 08 के नाम.

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा।

निजी..............................मबलिक.. बाबत..............................खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04.12.2025 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत..............................
उप खण्ड अधिकारी
ओहदा पीपलू (टोंक)

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	50	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner